Refusal of Government Accommodation on Account of non payment of Overstay Dues

1757. SHRI GHUFRAN AZAM: Wil the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the part (c) of Unstarred Question 1701 given in the Rajya Sabha on the 13th September, 1991 and state:

(a) whether it is a fact that Type-I quarter No. K-186, Clive Square was allotted vide allotment No. 1002/S-128/TA/76-P dated the 22nd June, 1989 in lieu of K-118, Clive Square;

(b) if so, what are the reasons for not handing over the possession of the said quarter to the employee immediately even when the employee's department agreed for the transfer and Quarter No. E-I, Aram Bagh was placed at the disposal of the Directorate of Estates;

(c) what are the reasons for not regularising Q. No. K-118, Clive Square with retrospective effect while this Quarter belonged to General Pool and was covered under the rules framed in 1963 by the Directorate of Estates in this regard; and

(d) what are the reasons for not refunding the market rent charged from the allottee of K-118, Clive Square even when the case was withdrawn by the Directorate of Estates twice in 1986 and 1991 from the Litigation cell of the Directorate of Estates?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) One Type A quarter No. K-186 Clive Square, was offered to Shri V. K. Matlotia, son of Shri Sahib Singh, retired allottee of quarter No. K-118, Clive Square, on an ad hoc over-riding priority basis with the approval of the competent authority, in relaxation of the rules on the condition that he clears the outstanding due in a lump-sum, in respect of the quarter in occupation of his parent, for the period of unauthorised occupation. Since he failed to clear the dues, the quarter could not be handed over to him immediately.

(c) and (d) Though administrative control of quarter No. K-118, Clive Square and recovery of rent was with the Directorate of Estates, this quarter was earmarked for allotment to the employees of the Rajya Sabha Sectt. and its allotment, etc. could be made to the employees of the Rajya Sabha Sectt. only with the recommendation of that Secretariat. Therefore, this quarter could not be regularised in the name of Shri V. K. Matlotia, an employee of Delhi Doordarshan Kendra, unless and until the Rajya Sabha Sectt. agreed to transfer this quarter to the General Pool. The Rajya Sabha Sectt. agreed to transfer this quarter in February, 1989 only and thereafter this quarter was allotted to Shri V. K. Matlotia i.e. subsequent to the date of approval of the competent auhority.

Since the quarter was regularised w.e.f. 1-6-1989 only, the family was liable to pay the damages for the period of over-stay from the date of cancellation of the quarter till 31st May, 1989. The question of refund of the amount of damages already recovered, therefore, does not arise.

इस शताब्दी के अंत तक मकानों की आवश्यकता

1758. **श्री राम नरेश यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस शताब्दी के अंत तक कितने मकानों की मांग होगी और उस समय कितने मकान उपलब्ध होंगे ;

(ख) क्या सरकार के पास इस मांग को पूरा करने के लिए कोई योजना है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और मकानों की मांग को कब तक बिल्कुल पूरा कर दिया जाए ;

(ग) इस शताब्दी के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मकानों की मांग

होगी और क्या सरकार द्वारा इस मांग को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है ; और

(घ) इस क्षेत्र के बैंकों का क्या योगदान रहा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1981 की जनगणना आंकड़ों के योजन के आधार पर 1,3,2001 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा कुल आवास स्टाक 192.6 मिलियन होने का अनुमान लगाया है जिसमें आवास स्टाक 168.2 मिलियन स्वीकार्य होगा ।

(ख) आवास राज्य का विषय है । आवास की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त योजनाओं को प्रतिपादित करना मुख्यतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । राष्ट्रीय आवास नीति में बहुत से उपाय निर्धारित हैं जिनको केंद्र/राज्य तथा नगर पालिका स्तर पर सरकार द्वारा करना होगा जिससे आवास निर्माण की गति में वृद्धि होगी । वे उपाय इस प्रकार हैं :

(i) कानूनी तथा अन्य प्रतिबन्ध हटाना ।

(ii) आवास वित्त के अंतर्वाह में वृद्धि करना ।

(iii) विकसित भूमि की आपूर्ति, मूलभूत सेवाओं, भवन सामग्रियों आदि में वृद्धि करना ।

(iv) केंद्र सरकार के मार्ग दर्शन में राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध कार्य योजनाओं का प्रतिपादन और कार्यान्वयन ।

(ग) सन 2001 तक ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी 25.5 मिलियन एकक अनुमानित है । राज्य क्षेत्र आवास स्कीमों के अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना नामक एक केंद्रीय स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त हुए बंधुवा मजदूरों को मुफ्त आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रचालन में है । यह स्कीम कतिपय संशोधनों सहित 8वीं योजना में जारी रहेगी । 1991-92 तक इस स्कीम के अंतर्गत 10.57 लाख मकानों का निर्माण किए जाने की सूचना है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में आवास कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए ये बैंक प्रतिवर्ष अपनी संवृद्धि निक्षेपों का 1.5 प्रतिशत निर्धारित कर रहे हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में धपलेबाजी

1759. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **शहरी विकास** मंत्री 6 सितम्बर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 871 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में गैर-कानूनी नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं/धांधली, षडयंत्र और धपलेबाजी के मामलों की जांच के संबंध में क्या प्रगति हुई है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने के लिए सौंपे गए थे ; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण में गैर-कानूनी नियुक्तियों से संबंधित अपराधों की जांच के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । केंद्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस संबंध में आगे कार्रवाई की जा सकती है ।

Floating of Irrigation Bond

1760. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to float an Irrigation Bond to raise adequate resources for agricultural during the Eighth Plan period; and